# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

## पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 04/2025 तारीख रजू 30.01.2025

राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाट निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील खण्डार । ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री धीरेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

## निर्णय

दिनांक 08.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 10/2022 मे पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को पटवार मण्डल दौलतपुरा के राजस्व ग्राम दौलतपुरा के आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई पर जिन्स धान लगाकर संवत 2079 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 07.09.2022 विधि विरूद्ध तरीके से एवं इकतरफा कार्यवाही कर पारित किया गया है। जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय हल्का पटवारी दौलतपुरा की रिपोर्ट को आधार मानकर पारित किया गया है जबकि हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट गलत व विधि विरूद्ध तैयार की गई है कोई मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई। नाही उक्त रिपोर्ट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलार्थी आराजी ख0नं0 171 रकबा 1.0900 है0 का खातेदार काश्तकार है जिस पर काबिज रहकर फसल लाभ लेता आ रहा है। अपीलार्थी ने ख0नं0 172 रकबा 0.05 बीघा गै0मु0 तलाई भूमि पर अतिक्रमण कर धान की फसल काश्त की है ही उक्त ख0नं0 172 पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण है। नाही अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही जैर निर्णय 7.9.2022 पा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पारित किया गया है अपीलार्थी पर किसी भी 91 एल0आर0एक्ट के नोटिस की तामील नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस तामील कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर विधि की भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई आदेशिका जारी नहीं की गयी है जिसमें अपीलार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया हो केवल मात्र दिनांक 7.9.2022 को एक ही दिवस की कार्यवाही आदेशिका पर है जिसमें लिखा गया है कि अतिक्रमी उपस्थित नहीं है आया अतिक्रमी ने आराजी ख0नं0 172 रकबा 0.05 बीघा में गै0मु0 तलाई पर अतिक्रमण कर धान बोकर अतिक्रमण कर लिया है अतिक्रमी के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी को लगान कर 50 गुना शास्ति कायम करते हुये बेदखली व एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है जिसमें पत्रावली दिनांक 7.9.2022 को प्रथम बार तहसीलदार के न्यायालय में पेश हुई और प्रार्थी अपीलार्थी को बिना नोटिस जारी करे बिना तलब करे एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए एकतरफा आदेश पारित कर अहम भूल की जो विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है और अपील अपीलार्थी स्वीकार होने योग्य है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 171 रकबा 1.0900 है0 पर काश्त काबिज है हल्का पटवारी के द्वारा रंजिश रखते हुवे अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को जैर निर्णय की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 10.01.2025 को थाना खण्डार द्वारा अपीलार्थी के घर पर जाकर परिवारजन को जैर निर्णय दिनांक 7.9.2022 की जानकारी दी जिसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डार के यहां जाकर जानकारी करने पर जैर निर्णय दिनांक 7.9.2022 की हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी [illegible] जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट के पिता की तामील हुई है। अपीलार्थी बा[illegible]मील [illegible]नबूझ कर नियत दिनांक 07.09.2022 को अदालत मातहत के समक्ष उ[illegible] अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित [illegible] अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध वि[illegible] साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया होने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:02 IST
Reason: SelfAttested